सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 23/2011

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए नायब तहसीलदार श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत 4 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत 4 एम.एल.
2. बाबा बरखादास चेला बाबा मोहनदास निवासी निर्वाण कुटिया चक 1 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्टस

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थित :
1.नायब तहसीलदार राजकीय अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.श्री गोकुल स्वामी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

आदेश **दिनांक :–11.06.2018**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि रकबा चक 1 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 30 का इन्तकाल जेर अपील गलत तौर से किया गया है। रकबा जेर बहस अतिरिक्त जिलाधीश श्रीगंगानगर से दिनांक 20.03.2018 को ही रिसीवर किया हुआ है तथा रिसीवर की जानकारी होते हुए व कब्जा रिसीवर थानेदार के पास होते हुए इन्तकाल किया गया है जबकि कानूनन किसी रिसीवर शुदा रकबा का इन्तकाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन्तकाल के रोज ना तो रेस्पोडेन्ट 02 का कब्जा आराजी जेर बहस पर था ना ही कब्जा के अभाव में इन्तकाल ही कानूनन हो सकता था। अतः इन्तकाल जेर अपील गलत किया गया है जो कि अज्ञानतावंश किया गया है क्योंकि ना तो रेस्पोडेन्ट सख्या 02 ने रिसीवर की जानकारी होते हुए रिसीवर के बारे में सूचना दी ना ही किसी तरह से तहसीलदार को ही पता चल सका। ग्राम पंचायत ने भी बिना मजमे आम में जांच किए ना ही ग्राम पंचायत की मीटिंग में प्रस्ताव पास किए ना ही कोई कमेटी गठित की व बिना कमेटी की राय व कब्जा के बारे में जांच करवाए ही इन्तकाल जेर अपील किया गया है जो कि स्पष्ट तौर से ना केवल गलत है बल्कि निरस्त करने योग्य है। इन्तकाल नियमों की ना तो पालना की ना ही लेण्ड रिकॉर्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की ही पालना की गई है। अतः इन्तकाल जेर अपील गलत किया गया है केवल मात्र पटवारी के दर्ज करके पेश करने पर ही तस्दीक नहीं किया जा सकता था बल्कि कानूनी प्रकिया को भी अपनाना जरूरी था। पटवारी हल्का का भी यह दायित्व था कि वह रिसीवर के बारे में रिपोर्ट इन्तकाल जेर अपील पर लिखित में करता मगर इसके अभाव में भी गलत तौर से इन्तकाल किया गया है। तहसीलदार को भी रिसीवर होने व कब्जा रिसीवर के पास होने की जानकारी नहीं हो सकी क्योंकि स्वयं रेस्पोडेन्ट 02 का भी यह दायित्व था कि वह इस बारे में जानकारी देता मगर उसने धोखा देकर ही ऐसा इन्तकाल करवाया गया है उसने जान बूझकर रिसीवर की जानकारी होते हुए भी जानकारी नहीं दी इसके इलावा वसीयत के बारे में जांच करने का कार्य सिविल कोर्ट को ही है तथा कोई प्रोबेट आज तक हासिल नहीं किया गया है जबकि कानूनन जरूरी था। ग्राम पंचायत को वसीयत के आधार पर इन्तकाल करने का

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अधिकार ग्राम पंचायत को किसी तरह से नही था क्योंकि वह वसीयत के बारे में जांच नहीं कर सकती थी तहसीलदार ने भी वसीयत के बारे में कोई बयान नहीं लिया ना ही किसी तरह से जांच की गई है। इसलिए भी आदेश 07.04.2010 भी गलत पारित किया गया व इन्तकाल भी बिना अधिकार के ही स्वीकृत किया गया है। इन्तकाल नियमों की कतई तौर से अनदेखी की गई है। तहसीलदार का आदेश भी स्पीकिंग आर्डर की परिभाषा में नही आने से भी हर प्रकार से निरस्त करने योग्य था। इन्तकाल जेर अपील तहसीलदार द्वारा दैनिक समाचार पत्र फाईटर के दिनांक 17.03.2011 के अंक को दो रोज पूर्व अचानक पढने पर जिसमें रिसीवर शुद्वा जमीन का इन्तकाल हो गया शीर्षक से समचार साया किया गया के पढने पर पता चाल कि रिसीवर किया गया है। इस पर पटवारी को बुला कर पता किया तो पता चलने पर नकले हासिल करके यह अपील अपीलान्ट की ओर अपील नायब तहसीलदार को पेश करने का कहा जाने पर यह अपील बिना देरी से पेश की जा रही है। लिहाजा अपील स्वीकार कर इन्तकाल जेर अपील को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि रकबा चक 1 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 30 का इन्तकाल जेर अपील गलत तौर से किया गया है। रकबा जेर बहस अतिरिक्त जिलाधीश श्रीगंगानगर से दिनांक 20.03.2018 को ही रिसीवर किया हुआ है तथा रिसीवर की जानकारी होते हुए व कब्जा रिसीवर थानेदार के पास होते हुए इन्तकाल किया गया है जबकि कानूनन किसी रिसीवर शुदा रकबा का इन्तकाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन्तकाल के रोज ना तो रेस्पोडेन्ट 02 का कब्जा आराजी जेर बहस पर था ना ही कब्जा के अभाव में इन्तकाल ही कानूनन हो सकता था। अतः इन्तकाल जेर अपील गलत किया गया है जो कि अज्ञानतावंश किया गया है क्योंकि ना तो रेस्पोडेन्ट सख्या 02 ने रिसीवर की जानकारी होते हुए रिसीवर के बारे में सूचना दी ना ही किसी तरह से तहसीलदार को ही पता चल सका। ग्राम पंचायत ने भी बिना मजमे आम में जांच किए ना ही ग्राम पंचायत की मीटिंग में प्रस्ताव पास किए ना ही कोई कमेटी गठित की व बिना कमेटी की राय व कब्जा के बारे में जांच करवाए ही इन्तकाल जेर अपील किया गया है जो कि स्पष्ट तौर से ना केवल गलत है बल्कि निरस्त करने योग्य है। इन्तकाल नियमों की ना तो पालना की ना ही लेण्ड रिकॉर्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की ही पालना की गई है। अतः इन्तकाल जेर अपील गलत किया गया है केवल मात्र पटवारी के दर्ज करके पेश करने पर ही तस्दीक नहीं किया जा सकता था बल्कि कानूनी प्रकिया को भी अपनाना जरूरी था। पटवारी हल्का का भी यह दायित्व था कि वह रिसीवर के बारे में रिपोर्ट इन्तकाल जेर अपील पर लिखित में करता मगर इसके अभाव में भी गलत तौर से इन्तकाल किया गया है। तहसीलदार को भी रिसीवर होने व कब्जा रिसीवर के पास होने की जानकारी नहीं हो सकी क्योंकि स्वयं रेस्पोडेन्ट 02 का भी यह दायित्व था कि वह इस बारे में जानकारी देता मगर उसने धोखा देकर ही ऐसा इन्तकाल करवाया गया है उसने जान बूझकर रिसीवर की जानकारी होते हुए भी जानकारी नहीं दी इसके इलावा वसीयत के बारे में जांच करने का कार्य सिविल कोर्ट को ही है तथा कोई प्रोबेट आज तक हासिल नहीं किया गया है जबकि कानूनन जरूरी था। ग्राम पंचायत को वसीयत के आधार पर इन्तकाल करने का अधिकार ग्राम पंचायत को किसी तरह से नही था क्योंकि वह वसीयत के बारे में जांच नहीं कर सकती थी तहसीलदार ने भी वसीयत के बारे में कोई बयान नहीं लिया ना ही किसी तरह से जांच की गई है। इसलिए भी आदेश 07.04.2010 भी

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

गलत पारित किया गया व इन्तकाल भी बिना अधिकार के ही स्वीकृत किया गया है। इन्तकाल नियमों की कतई तौर से अनदेखी की गई है। तहसीलदार का आदेश भी स्पीकिंग आर्डर की परिभाषा में नही आने से भी हर प्रकार से निरस्त करने योग्य था। लिहाजा अपील स्वीकार कर इन्तकाल जेर अपील को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि इन्तकाल संख्या 240 दिनांक 20.04.2010 सरपंच ग्राम पंचायत 4 एम.एल. पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसकी अपील सुनने का क्षैत्राधिकार सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को है। अतः अपील इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार से परे होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। इन्तकाल सख्या 240 दिनांक 20.04.2010 जो दर्ज किया गया वह वसीयत कमांक 2005000044 दिनांक 13.03.2005 जो उप पंजीयक श्रीगंगानगर द्वारा पंजीबद है एवं तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश कमांक :–भू.अ./वसी/1052 दिनांक 12.04.2010 के हवाले से दर्ज किया जाना अंकित किया गया है। तहसीलदार श्रीगंगानगर का उक्त आदेश कोई न्यायिक आदेश नहीं है एक साधारण पत्र–व्यवहार है। अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 240 दिनांक 20.04.2010 सरपंच, ग्राम पंचायत 4 एम.एल. पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसकी अपील सुनने का क्षैत्राधिकार सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी (प्रथम अपील अधिकारी) का है। अतः हस्तगत अपील क्षैत्राधिकार से बाहर की होने के कारण सम्बन्धित नायब तहसीलदार को सक्षम अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जाती होती है। आदेश की प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर एवं नायब तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/6/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।